प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.08.2020 जनपद देवरिया

01.ग्राम इटहुआ चंदौली में हुई घटना में दो अभियुक्तों को एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध किया गया।

दिनांक 28.06.2020 को थाना सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इटहुआ चंदौली में जामुन तोड़ने के विवाद को लेकर मुसलमानों द्वारा जयप्रकाश कुशवाहा व उनके परिवार के सदस्यों को बुरी तरह से मारा–पीटा गया था, जिसमें जयप्रकाश कुशवाहा की मृतयु हो गयी थी एवं उनके परिवार के सदस्य घायल हुए थे, इसके संबन्ध में थाना सलेमपुर में मु0अ0सं0–112/2020 धारा–147,148,149,302,308,323, 452,504, 506 भादंसं का अभियोग कायम किया गया था।

इस संबन्ध में एक वर्ग के लोगों द्वारा दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से किये गये मार–पीट के फलस्वरूप अफरा–तफरी का माहौल पैदा हो गया था। अतः उक्त घटना में मुख्य अभियुक्त इस्तेयाक अंसारी पुत्र कासिम एवं किताबुद्दीन पुत्र वकील निवासीगण–इटहुआ चंदौली थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जिसके फलस्वरूप आज जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों को एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध किया गया।

02. कुख्यात अपराधी तारबाबू के विरूद्ध एक और बड़ी कार्यवाही, 5 करोड़ से अधिक संपत्ति की कुर्की।

शराब माफिया, पशु तस्कर कुख्यात अपराधी तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी–रूस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के रूप में अर्जित एक भाग की संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रूपये थी की कुर्की जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश संख्या 667/2020 दिनांक 28. 08.2020 के अनुपालन में की गयी थी।

जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा अभियुक्त तारबाबू यादव उपरोक्त की और संपत्तियों को चिह्नित कर उनकी कुर्की के संबन्ध में रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को प्रेषित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा दिनांक 05.09.2020 को पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट हो कर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त तारबाबू यादव की 5 करोड़ से अधिक अन्य संपत्तियों की कुर्की के आदेश प्रदान किये हैं।

इस संबन्ध में उसके परिवार के अन्य गैंगेस्टर सदस्यों के विरूद्ध और संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस की इन कार्यवाहियों से जनता में व्यापक सराहना हो रही है।

03.साइबर सेल देवरिया द्वारा आवेदक के खाते में वापस कराये गये रूपये।

आवेदक राकेश कुमार मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा निवासी–कोड़ीया मिश्र थाना सलेमपुर जनपद देवरिया द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया को प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 08.03.2020 से 12.03.2020 के मध्य आवेदक के आधार कार्ड के माध्यम से उसके खाते से कुल 50,000रू0 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जालसाजी कर स्थानान्तरित कर लिये गये हैं।

उक्त शिकायत के संबन्ध में पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा प्रभारी साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में प्रभारी साइबर सेल द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के आधार कार्ड के माध्यम से उसके बैंक खाते से स्थानान्तरित हुए कुल 50,000रू0 अथक प्रयास के उपरान्त वापस करा लिये गये हैं तथा साइबर सेल देवरिया द्वारा जॉच प्रचलित है। अपने बैंक खाते से स्थानान्तरित हुए 50,000रू0 वापस पाकर आवेदक सत्येन्द्र कुमार मिश्र द्वारा देवरिया पुलिस की भूरि–भूरि प्रशंसा किया गया।